न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः—लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

रेफरेन्स प्रा0प0 संख्या 02/2021

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील व जिला झुंझुनूं।

—— प्रार्थी

बनाम

1. कृष्णा कंवर पुत्री संतकुमार सिंह, जाति राजपूत, निवासी कालीपहाडी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. संदीप सिंह पुत्र संतकुमार सिंह, जाति राजपूत, निवासी कालीपहाडी, तहसील व जिला झुंझुनूं।

—— अप्रार्थीगण

——

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 82 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

——

उपस्थितः—

1. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय एडवोकेट— प्रार्थी की ओर से।
2. श्री महेन्द्र कुमावत, एडवोकेट— अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 2 की ओर से।

आदेश

दिनांक 08.06.2022

1. पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विद्वान तहसीलदार झुंझुनूं के द्वारा प्रस्तुत की गई है। रेफरेन्स के तथ्य निम्न प्रकार से है कि ग्राम मौजा ग्राम मौजा कालीपहाडी तहसील व जिला झुंझुनूं की हाल जमाबंदी सम्वत् 2074—2077 के खाता संख्या 299 के अनुसार ग्राम कालीपहाडी में स्थित भूमि ख0न0 203 रकबा 0.67 है0, एवं ख0न0 204, रकबा 0.11 है., किस्म बंजड द्वितीय की गैर खातेदारी कृष्णा कंवर पुत्री संतकुमार सिंह, जाति राजपूत, निवासी कालीपहाडी तहसील व जिला झुंझुनूं, संदीप सिंह पुत्र संतकुमार सिंह, जाति राजपूत, निवासी कालीपहाडी, तहसील व जिला झुंझुनूं सा0 देह गैर खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त वर्णित भूमि के गत ख0न0 एवं एवं पूर्व के रिकॉर्ड की स्थिति निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है —

क्र0 सं0	जमाबन्दी सम्वत्	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	जमीन 3 गैर मोरूसी कृषक का नाम व विवरण
1.	2012—2015	80, 81	18 बिस्वा, 5 बीघा 5 बिस्वा	बंजड द्वितीय	पन्नेसिंह पुत्र जतन सिंह, नारायण सिंह पुत्र उमासिंह, जीतसिंह पु0 मौजीसिंह, राजपुत, सा0 भौडकी हिस्सा बराबर
2.	2015—2018	80, 81	18 बिस्वा, 5 बीघा 5 बिस्वा	बंजड द्वितीय	सरकार
3.	2017—2020	80, 81	18 बिस्वा, 5 बीघा 5 बिस्वा	बंजड द्वितीय	सरकार
4.	2021—2024	80, 81	9 बिस्वा, 2 बीघा 13 बिस्वा	बंजड द्वितीय	सरकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.23 17:22:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

5.	2025–2028	80/1, 80/2	9 बिस्वा, 2 बीघा 13 बिस्वा	बंजड दोयम	सुल्तान सिह पु0 माघोसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम गैर खातेदार
6.	2029–2032	80/1, 80/1	9 बिस्वा, 2 बीघा 13 बिस्वा	बंजड दोयम	सुल्तान सिह पु0 माघोसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम गैर खातेदार
7.	2033–2036	80/1, 80/1	9 बिस्वा, 2 बीघा 13 बिस्वा	बंजड दोयम	सुल्तान सिह पु0 माघोसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम गैर खातेदार
8.	2042–2045	80/1, 80/1	9 बिस्वा, 2 बीघा 13 बिस्वा	बंजड दोयम	सुल्तान सिह पु0 माघोसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम गैर खातेदार
9.	2046–2049	80/1, 80/1	9 बिस्वा, 2 बीघा 13 बिस्वा	बंजड दोयम	सुल्तान सिह पु0 माघोसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम गैर खातेदार
10.	2060–2063	203, 204	0.67 है0, 0.11 है0,	बंजड 2 बंजड 2	संतकुमार सिंह पुत्र सुल्तान सिंह, जाति राजपूत सा0 देह गैर खातेदार
11.	2062–2065	203, 204	0.67 है0, 0.11 है0,	बंजड 2 बंजड 2	संतकुमार सिंह पुत्र सुल्तान सिंह, जाति राजपूत सा0 देह गैर खातेदार
12.	2063–2066	203, 204	0.67 है0, 0.11 है0,	बंजड 2 बंजड 2	संतकुमार सिंह पुत्र सुल्तान सिंह, जाति राजपूत सा0 देह गैर खातेदार
13.	2067–2070	203, 204	0.67 है0, 0.11 है0,	बंजड 2 बंजड 2	संदीप सिंह पि0 संतकुमार सिंह, कृष्णा कंवर पुत्री संतकुमार सिंह जाति राजपूत सा0 देह गैर खातेदार
14.	2071–2074	203, 204	0.67 है0, 0.11 है0,	बंजड 2 बंजड 2	संदीप सिंह पि0 संतकुमार सिंह, कृष्णा कंवर पुत्री संतकुमार सिंह जाति राजपूत सा0 देह गैर खातेदार
15	2074–2077	203, 204	0.67 है0, 0.11 है0,	बंजड 2 बंजड 2	कृष्णा कंवर पुत्री संतकुमार सिंह हिस्सा 1/2, संदीप सिंह पुत्र संतकुमार सिंह हिस्सा 1/2, जाति राजपूत सा0 देह गैर खातेदार

उक्त वर्णित भूमि जमाबंदी सम्वत् 2012–2015 से गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है, जो बिना किसी कारण व आदेश के दर्ज हुई है जो गलत है। सार्वजनिक उपयोग की उक्त विवादित भूमि किसी व्यक्ति विशेष की खातेदारी कब्जे मे दिया जाना न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार की भूमियो की सुरक्षा करना प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) का कर्तव्य है। राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकन की आड में गैर खातेदारी अपने प्रभाव से किसी प्रकार से उक्त विवादित भूमि की खातेदारी ग्रहण कर लेता है तो राज्य सरकार की हक तहफी होगी, अपूर्तनीय क्षति होगी, आमजन को असुविधा होगी, आवश्यक मुकदमेबाजी बढेगी तथा अनेकों कानूनी पेचदगियां उत्पन्न हो जावेगी। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खाता संख्या 299 के अनुसार ग्राम कालीपहाडी में स्थित भूमि ख0न0 203 रकबा 0.67 है0, एवं ख0न0 204, रकबा 0.11 है0, किस्म बंजड द्वितीय की गैर खातेदारी अप्रार्थीगण के खाते से हटाकर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें तथा अन्य [illegible] राज्य हित व सार्वजनिक हित में दिया जाना उचित हो व भी दिलाने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.23 17:22:01 IST
Reason: SelfAttested

2. बहस सुनी गई। विद्वान राजकीय अभिभाषक (प्रार्थी) [illegible] के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम कालीपहाडी की सरहद मे स्थित भूमि ख0न0 203 रकबा [illegible] है0, एवं ख0न0 204, रकबा 0.11 है0, किस्म बंजड द्वितीय के मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2012–2015 के अनुसार पुराने भूमि खसरा नम्बर 80 एवं 81 की गैर खातेदारी कृष्णा कंवर पुत्री संतकुमार सिंह, जाति राजपूत, निवासी कालीपहाडी

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

तहसील व जिला झुंझुनूं, संदीप सिंह पुत्र संतकुमार सिंह, जाति राजपूत, निवासी कालीपहाडी, तहसील व जिला झुंझुनूं देह गैर खातेदार के खाते मे दर्ज रिकार्ड है। विवादित भूमि सार्वजनिक उपयोग मे काम आ रही है। भूमि की किस्म राजस्व रिकार्ड मे बंजड दर्ज है। अतः प्रार्थी का प्रा0प0 स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि की गैरखातेदारी अनोवदक के खाते से हटाई जाकर खातेदारी राजस्थान सरकार के नाम दर्ज किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भेजे जाने का आदेश फरमाया जावे।

3. अप्रार्थी वकील ने राजकीय अभिभाषक के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि संवत् 2012–2015 मे पन्ने सिंह के नाम था। अप्रार्थीगण पन्ने सिंह के उप कृषक थे। अप्रार्थीगण को विवादित भूमि की खातेदारी की पास बुक जारी की हुई है एवं अप्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त है। अप्रार्थीगण के नाम से विवादित भूमि के संबंध मे पीढियों से नामान्तरकरण स्वीकृत किये गये है। प्रार्थी ने 55 साल बाद रेफरेन्स पेश किया है। रेफरेन्स किसी आदेश के विरूद्व पेश किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र गलत रूप से पेश किया गया है। पूर्व मे इसी न्यायालय द्वारा इस प्रकार की भूमि के रेफरेन्स खारिज किये गये है। अतः प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस राजकीय पैरोकार पर बगौर मनन किया। ग्राम कालीपहाडी की सरहद मे स्थित विवादित भूमि ख0न0 203 रकबा 0.67 है0, एवं ख0न0 204, रकबा 0.11 है0, किस्म बंजड द्वितीय जिसके पुराने भूमि खसरा नम्बर 80 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 81 रकबा 5 बीघा 5 बिश्वा है की गैर खातेदारी कृष्णा कंवर पुत्री संतकुमार सिंह, जाति राजपूत, निवासी कालीपहाडी तहसील व जिला झुंझुनूं, संदीप सिंह पुत्र संतकुमार सिंह, जाति राजपूत, निवासी कालीपहाडी, तहसील व जिला झुंझुनूं सा0 देह गैर खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। पत्रावली के सलंग्न दस्तावेजात व जमाबन्दी से तथा राजकीय अभिभाषक के कथनों से पुष्टि होती है कि उक्त आराजी की गैर खातेदारी अनावेदक के नाम रही है, वर्तमान में भी अप्रार्थीगण की गैर खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। ऐसी स्थिति में हम रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को किया जाना उचित समझते हैं।

5. अतः ग्राम कालीपहाडी तहसील व जिला झुंझुनू स्थित अप्रार्थी की गैर खातेदारी में दर्ज हुई भूमि हाल ख0न0 203 रकबा 0.67 है0, एवं ख0न0 204, रकबा 0.11 है0, किस्म बंजड द्वितीय की गैर खातेदारी निरस्त करवाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रेफरेन्स प्रस्तुत किया जाकर निवेदन है कि भूमि ख0न0 203 रकबा 0.67 है0, एवं ख0न0 204, रकबा 0.11 है0, किस्म बंजड द्वितीय की गैर खातेदारी अप्रार्थी के नाम से खारिज फरमाई जाकर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज करवाने के आदेश फरमाये जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के यहां प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार झुंझुनूं को भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 08.06.2022 को [न्याया]लय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.23 17:22:01 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुन्झुनूं